अधीक्षक अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, नागपूर यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत ४ विभागीय व ११ उपविभागीय कार्यालयांतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०९.२०२५ ते दि. २८.०२.२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्र. क्र. मुदवा २०२५/प्र.क्र.३९/जवि

नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. दिनांक :-०१.१०.२०२५

संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक:मुदवा २०२५/प्र.क्र.३९/ज.वि., दिनांक ०८.०४.२०२५

- २) मुख्य अभियंता, (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ (वि)/जविप्र/ मुदत्तवाढ/आ-१०/१३३७, दिनांक २१.०८.२०२५
- ३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. २६.०८.२०२५

शासन निर्णय :

मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, नागपूर यांचे कार्यालय व त्यांच्या अधिपत्याखालील ४ विभागीय व ११ उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी २१९ पदांना दि. ०१.०९.२०२५ ते दि. २८.०२.२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील सोबतच्या विवरणपत्रात दिलेला आहे.)

- २. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च नियत अस्थायी आस्थापनेचा खर्च "मागणी क्र.आय-५,मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, १९०- सार्वजिनक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), (०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय १७१)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा.
- ३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २६.०८.२०२५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत.
- ४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२५१००११९५७००३९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(अजित पां.शिंदे)

सोबत:- विवरणपत्र.

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीकरिता विवरणपत्रासह अग्रेषित: १.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर.

- २.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर.
- ३. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी
- ४. अवर सचिव (आ.प्.क), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- ५. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर
- ६. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई.
- ७. अधीक्षक अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, नागपूर.

यांना कळिवण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजुरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यितिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजुरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चूकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास त्यांची संपुर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील सूचना/ अटींची पुर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील.

- ८ .अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे
- ९. कार्यासन, अर्थ १/२, आ (पुनर्रचना), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १०.जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ

शासन निर्णय क्र. मुदवा २०२५/प्र.क्र.३९/जवि, दि.०१.१०.२०२५ चे विवरणपत्र-१ नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढीसाठी मंजूर पदे

(दि. ०१.०९.२०२५ ते दि. २८.०२.२०२६ पर्यंत पदांना मुदतवाढ)

| अ. | पदनाम | अ.अ. विदर्भ | का.अ. | | | | | | | | का.अ. का.अ. | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|---|-------------|--------------|----------------|--|--------------|-------------------|---------------|--|-----------------|-------------|---|------------|------------------|--------------|----------------------|
| <u>क्र</u> . | | जलविद्युत व | विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, नागपूर व त्या अंतर्गत ३ उपविभाग | | | | विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग,भंडारा व त्या अंतर्गत ३ उपविभाग | | | | विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग,अकोला व त्या अंतर्गत २ उपविभाग | | | नगजः विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग,यवतमाळ व त्या अंतर्गत ३ उपविभाग | | | | एकूण अस्थायी ` |
| | | उपसा सिंचन | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | मंडळ,नागपूर | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ,,,,,, | विभाग | उपविभाग | उपविभाग | उपविभाग | विभाग | उपविभाग | उपविभाग | उपविभाग | विभाग | उपविभाग | उपविभाग | विभाग | उपविभाग | उपविभाग | उपविभाग | - पदे |
| | | | नागपूर | क्र.१ वर्धा | क्र.२ नागपूर | क्र.३ चंद्रपूर | भंडारा | क्र.१ भंडारा | क्र.३ गडचिरोली | क्र.२ गोदिंया | अकोला | क्र.१ खामगाव | क्र.१ वाशिम | यवतमाळ | क्र.२ पुसद | क्र.२ अमरावती | क्र.३ यवतमाळ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ٩ | २ | 3 | 8 | ч | દ્દ | (9 | ۷ | 9 | 90 | 99 | 9२ | 93 | 98 | 94 | 9६ | 90 | 9८ | 98 |
| 9 | अधीक्षक अभियंता | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ٩ |
| | (विवयां) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | सहाय्यक अधीक्षक | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| | अभियंता | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | कार्यकारी अभियंता | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | ર |
| | (विवयां) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | उप अभियंता (विवयां) | - | ٩ | ٩ | 9 | 9 | ٩ | 9 | ٩ | 9 | ٩ | 9 | ٩ | 9 | ٩ | 9 | 9 | १५ |
| ч | क.अ./शा.अ./सहा.अ. | २ | - | 8 | 8 | 8 | ٩ | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | ५३ |
| | श्रेणी-२(विवयां) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| દ્દ | आरेखक/सहा.आरेखक | - | - | - | - | - | ٩ | - | - | - | ٩ | - | - | 9 | - | - | - | 3 |
| (9 | अनुरेखक | - | - | - | 9 | - | २ | - | ٩ | ٩ | २ | - | ٩ | ٩ | ٩ | - | 9 | 99 |
| ۷ | अधीक्षक | - | - | - | = | - | - | - | = | - | - | = | - | - | - | = | - | 0 |
| 8 | प्रथम लिपिक | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ٩ | - | | ٩ | - | - | - | २ |
| 90 | विभागीय लेखापाल | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ٩ | - | | ٩ | - | - | - | २ |
| 99 | वरिष्ठ लिपिक | २ | - | 9 | ٩ | ٩ | - | ٩ | 9 | ٩ | ч | 9 | ٩ | ч | ٩ | ٩ | ٩ | २३ |
| 92 | लघुलेखक(उच्च श्रेणी) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 0 |
| 93 | कनिष्ट लिपिक/ | 3 | २ | २ | 2 | ٩ | 8 | 2 | २ | 2 | ۷ | २ | २ | ۷ | २ | ? | २ | ४६ |
| | लिपिक-टंकलेखक | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | भांडारपाल | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ٩ | - | - | ٩ | - | - | - | २ |
| 94 | वाहन चालक | - | - | 9 | ٩ | - | - | ٩ | 9 | ٩ | ٩ | ٩ | 9 | ٩ | 9 | ٩ | 9 | 9२ |
| १६ | दप्तरी/नाईक | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 90 | शिपाई | 9 | - | २ | २ | ٩ | - | २ | २ | २ | ч | २ | २ | ч | २ | २ | २ | 32 |
| 9۷ | चौकीदार/पाहरेकरी | - | - | २ | 9 | 9 | - | 9 | 9 | ٩ | 9 | ٩ | 9 | ٩ | 9 | ٩ | 9 | 98 |
| | एकूण | 90 | 3 | 93 | 93 | 9 | ٩ | 92 | 93 | 93 | 39 | 92 | 93 | 30 | 93 | 92 | 93 | २१९ |

(अजित पां.शिंदे) कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन